



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०- I/41484/2026-Comp No:-12218 /E-7/PO दि०: 16-02-2026

Notice No-09/February 2026/Lucknow

अधिशायी अभियंता जानपद, विद्युत जानपद निर्माण खंड-प्रथम, अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक 204/ईसीसीडी-1/ए-7 अधिकारी/कर्मचारी दि० 09.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार लखनऊ स्थित कालोनियों में विभिन्न श्रेणी के निम्नवत आवास रिक्त हैं।

कार्मिक द्वारा उन्हीं आवासों के विकल्प दिये जाने चाहिए जिनमें जाने हेतु वह वास्तव में इच्छुक हों एवं जिस आवास श्रेणी हेतु वह अर्ह हो।

Details of Vacant Houses

Type IV Houses			
S.NO	Name of colony	House Number	Floor
1	Chandralok Hydrl Colony	04/22	Ground Floor
2	Chandralok Hydrl Colony	04/37	Ground Floor
3	Chandralok Hydrl Colony	04/74	First Floor
4	Vivekanand puri Hydrl Colony	04/11	Ground Floor
5	Vivekanand puri Hydrl Colony	04/26	First Floor
6	Prag Narain Road Hydrl Colony	04/03	Ground Floor
7	Prag Narain Road Hydrl Colony	04/11	First Floor
8	Indralok Hydrl Colony	04/34	Ground Floor

Type II Houses			
S.NO	Name of colony	House Number	Floor
1	Indralok Hydrl Colony	02/28	Ground Floor

Type I Houses			
S.NO	Name of colony	House Number	Floor
1	Indralok Hydrl colony	01/90	Second Floor

Car Garages		
S.NO	Name of colony	Car Garage Number
1	Chandralok Hydrel Officer Colony	07
2	Chandralok Hydrel Officer Colony	08
3	Chandralok Hydrel Officer Colony	09
4	Chandralok Hydrel Officer Colony	11
5	Chandralok Hydrel Officer Colony	21
6	Chandralok Hydrel Officer Colony	22
7	Chandralok Hydrel Officer Colony	23
8	Chandralok Hydrel Officer Colony	24

- उपरोक्त रिक्त आवासों के सापेक्ष इच्छुक कार्मिक आवंटन नीति में संलग्न प्रारूप-2 में अपने विकल्प दे सकते हैं। कार्मिक नोटिस में प्रकाशित एक या अधिक आवासों में दे सकते हैं। कार्मिक विकल्प को प्रारूप-02 में भरकर स्कैन करके नवीन ईमेल आईओ डीओ houseallotment.lucknow@uppcl.org पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा मुख्य अभियन्ता (हाओ) के कैम्प कार्यालय (तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ) में प्राप्त करा सकते हैं।
- आवंटन के पश्चात आवंटी को आवंटन आदेश की तिथि से 01 माह में कब्जा लेना होगा। निर्धारित 01 माह की अवधि में कब्जा न लेने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा आवंटी आदेश की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिये आवास आवंटन से वारित रहेगा।
- आवास का आवंटन कार्मिक की वरिष्ठता सूची में क्रम के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक ने वरिष्ठता सम्बन्धी प्रारूप-1 नहीं दिया है तो वह साथ में दे सकता है।
- विकल्प पत्र (प्रारूप-2) देने की **अंतिम तिथि 23-02-2026** है। इस नोटिस के सापेक्ष जो विकल्प अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा। आधे-अधूरे एवं अस्पष्ट विकल्प पत्रों पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- आवास आवंटन नीति 2024 में दिये गये सभी प्राविधान इस प्रक्रिया पर लागू होंगे।



(सूरज पाल)

कार्मिक अधिकारी

संयोजक-आवास आवंटन समिति
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता(वेब), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को कारपोरेशन की वेबसाईट के “Employee Corner/ कर्मचारी कार्नर” के “Departmental House Allotment/ विभागीय आवास आवंटन” के अन्तर्गत अपलोड करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड प्रथम, पुरनिया को इस आशय से प्रेषित है कि यह नोटिस आपके पत्रांक 204/ईसीसीडी-1/ए-7 अधिकारी/कर्मचारी दि0 09.02.2026 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर जारी की जा रही है। उक्त दी गयी सूचना में यदि कोई त्रुटि हो तो तत्काल इस कार्यालय को ईमेल आई0 डी0 houseallotment.lucknow@uppcl.org पर सूचित करने का कष्ट करें।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों की आवंटन नीति-2024

आवास आवंटन हेतु विकल्प पत्र का प्रारूप

(रिक्त आवासों के सापेक्ष विकल्प देने की नोटिस में दी गयी निर्धारित तिथि के भीतर कार्मिकों द्वारा आवास आवंटन हेतु रिक्त आवासों में से वांछित आवास का विकल्प निम्नांकित प्रारूप में आवास आवंटन समिति के संयोजक के कार्यालय में दिया जायेगा।)

1. आवास आवंटन नोटिस :	संख्या:	दिनांक:
2. कार्मिक का नाम :		
3. सैप आई०डी० :		
4. कार्मिक का वर्तमान पदनाम :		
5. वर्तमान पद पर जनपद-लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि :		
6. क्या लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, आगरा एवं कानपुर शहर में स्वयं का आवास है : (इन शहरों में तैनाती होने पर स्वयं का आवास होने की स्थिति में विभागीय आवास आवंटित नहीं किया जायेगा)	<input type="checkbox"/> हाँ / <input type="checkbox"/> नहीं	
7. क्या वर्तमान जनपद में निगमीय आवास आवंटित है:	<input type="checkbox"/> हाँ / <input type="checkbox"/> नहीं	
8. यदि हाँ तो 1. कॉलोनी का नाम / 2. आवास संख्या / 3. कब्जा लेने की तिथि सम्मुख अंकित करें		

आवास आवंटन हेतु विकल्प

नोट : केवल उन्ही आवासों का विकल्प दिया जाए जिसमें जाने हेतु कार्मिक इच्छुक हो एवं वह आवास रिक्त आवास आवंटन सम्बन्धी नोटिस (उक्त क्रमांक 1 अनुसार) में सम्मिलित हो। कार्मिक नोटिस में उपलब्ध आवासों में एक या अधिक का विकल्प दे सकते हैं।

आवास का वरीयता क्रम	आवास जिसके आवंटन हेतु इच्छुक है	
	कालोनी का नाम	आवास संख्या
प्रथम वरीयता		
द्वितीय वरीयता		
तृतीय वरीयता		
चतुर्थ वरीयता		
.....		
.....		

घोषणा : मैंने उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के नियंत्रणाधीन भवनों की आवंटन नीति-2024 के समस्त प्राविधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है एवं मैं अवगत हूँ कि इस नीति के समस्त प्राविधान मुझ पर लागू होंगे।

तिथि :

कार्मिक के हस्ताक्षर :

कार्मिक का नाम :

विभागीय ई-मेल :

मोबाइल नंबर :

नोट: 1. उपरोक्त वांछित समस्त सूचनाएं आवश्यक रूप से भरी जानी है। कार्मिक द्वारा भरी गयी सूचना की सत्यता के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
2. जनपद-लखनऊ में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने के साक्ष्य की प्रति संलग्न करें।

कार्यालय उपयोग हेतु :

1. बैठक की तिथि	
2. उपरोक्त विकल्पों में आवंटित किए गए आवास का विवरण	